


राजस्थान सरकार
वित्त विभाग

विषय :- अधीनस्थ विभागों में निजी सचिव संवर्ग एवं मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का संशोधित नोर्म्स के अनुसार पुनर्गठन करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अधीनस्थ विभागों में निजी सचिव संवर्ग एवं मंत्रालयिक संवर्ग हेतु निम्न आदेशों द्वारा संशोधित नोर्म्स निर्धारित किये हैं :-

क्र.सं.	आदेश क्रमांक / दिनांक	संवर्ग
1.	अ.शा.टीप क्रमांक FD/Exp-2/कार्मिक(5)/2023-24 जयपुर दिनांक 04.10.2023	अधीनस्थ विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुनर्गठन करने हेतु संशोधित नोर्म्स निर्धारित
2.	वित्त (व्यय-2) विभाग की अ.शा.टीप क्रमांक FD/Exp-2/कार्मिक(5)/2023-24 जयपुर दिनांक 04.10.2023	अधीनस्थ विभागों में निजी सचिव संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुनर्गठन हेतु संशोधित नोर्म्स निर्धारित

अधीनस्थ विभागों के निजी सचिव व मंत्रालयिक संवर्ग हेतु प्रशासनिक विभागों से दिनांक 01.04.2023 के अनुसार सूचना प्राप्त कर, अधीनस्थ कार्यालय के मंत्रालयिक संवर्ग/निजी सचिव संवर्ग के पदों का पुनर्गठन करने हेतु निर्देशित किया जाता है। यह वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी.सं. 162400300 दिनांक 13.02.2024 के द्वारा माननीया उप मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया से अनुमोदित है।


(नरेश कुमार ठकराल)
शासन सचिव
वित्त (व्यय) विभाग

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (व्यय-1, 2, 3, 4, 5) विभाग

अ.शा.टीप क्रमांक:- FD(Exp-2) कार्मिक (05)2023-24 जयपुर

Date :- 15-02-2024